न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना जिला नागौर (राज०)

पीठासीन अधिकारी :-रिछपाल सिह बुरडक आर०ए०एस०

अपील संख्या :- **14/2020**

अपीलान्ट :-

1. मोहनलाल पुत्र लादूराम जाति माली श्यामगढ तहसील नावां जिला नागौर

रेस्पोडेन्ट :-

1. तहसीलदार ,नावां।
2. पटवारी हल्का श्यामगढ।

उपस्थित अधिवक्ता :-

श्री महेन्द्र सिंह खिलेरी अधिवक्ता, अपीलान्ट की और से।

अपील विरूद्ध निर्णय राजस्व प्रकरण संख्या 53/2019 दिनांक 02.12.2019 बअनवान सरकार बनाम मोहनलाल द्वारा न्यायालय तहसीलदार नावां अन्तर्गत धारा 91 राज० भू-राजस्व अधिनियम 1956

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज० भू-राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक :- **25.03.2021**

{1} यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार नावां के प्रकरण संख्या 53/2019 बअनवान सरकार जरिये पटवारी हल्का श्यामगढ बनाम मोहनलाल पुत्र लादुराम जाति माली निवासी श्यामगढ में पारित निर्णय दिनांक 02.12.2019 के विरूद्ध पेश की है।

{2} अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का श्यामगढ ने अपीलान्ट/अप्रार्थी के विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार नांवा को रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्ट/अप्रार्थी ने ग्राम श्यामगढ के खसरा नंबर 1016 कुल रकबा 0.12 है० किस्म भूमि बारानी 02 भूमि पर बाडा व पक्का निर्माण करके अतिक्रमण कर रखा है तथा अतिक्रमी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्ट/अप्रार्थी को राज० भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत जरिये नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट/अप्रार्थी द्वारा मौजा श्यामगढ के खसरा नंबर 1016 कुल रकबा 0.12 है० किस्म भूमि बारानी 02 पर अतिक्रमण किये जाने से अपीलान्ट/अप्रार्थी द्वारा किया गया अतिक्रमण राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानों का उल्लंघन होने से अतिक्रमण की श्रेणी में पाया गया। अतः अपीलान्ट/अप्रार्थी को अतिक्रमी माना जाकर मौजा श्यामगढ के खसरा नंबर 1016 कुल रकबा 0.12 है० किस्म भूमि बारानी 02 से बेदखल किये जाने का आदेश दिया गया एवं

वार्षिक लगान दर से जुर्माना रूपये 24/– अक्षरे चौबीस रूपये कायम किया गया।

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील दिनांक 29.01.2020 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। अपीलान्ट की अपील को दिनांक 19.02.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड हेतु तलबी जारी की गई। अधीनस्थ न्यायालय के पत्रांक राजस्व/2021/386 दिनांक 26.02.2021 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली इस न्यायालय में प्राप्त हुई। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका एवं निर्णय दिनांक 02.12.2019 , की प्रमाणित प्रतिलिपि, रिपोर्ट पटवारी, प्रार्थी कुलदीप सिंह का प्रार्थना पत्र बाबत अतिक्रमण हटाने, नोटिस;जवाब प्रार्थना पत्र , ए०वी०वी०एन०एल द्वारा जारी विद्युत उपभोग विपत्र , अपीलार्थी के पुत्र व पुत्रवधु का विकलांगता प्रमाण पत्र , पटवार मंडल श्यामगढ का प्रमाण -पत्र की छायाप्रति पेश की है।

{3} वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गयी । वकील अपीलान्ट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिया है कि :-

{3} 1. यह है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 02.12.2019 अधीन अपील कानून के प्रतिपादित सिद्वान्तों के विपरित होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{3} 2. यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय अधीन अपील पारित करने में विधिक एवंत श्थात्मक त्रुटि की हैं , अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 02.12.2019 अधीन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

{3} 3. यह है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अधीन अपील न्याय के सामान्य सिद्वान्तों के विपरित होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{3} 4. यह है कि तहसीलदार नावां द्वारा पूर्णरूप से विधि विरूद्व तरीके से उक्त कार्यवाही की गई है। अपीलार्थी का जिस भूमि पर पर अतिक्रमण मानकर पटवारी हल्का द्वारा अतिक्रमण की रिपोर्ट पेश की है तथा जिस पर तहसीलदार नावां द्वारा जुर्माना व बेदखल करने का आदेश पारित किया है।

{3} 5. यह है कि अपीलांट का पुत्र जो कि विकलांग है एव उसकी पुत्रवधु जो विकलांग है, दोनो उक्त कच्चे पक्के मकान में निवास कर रहे है। इसके

अलावा इन विकलांग व्यक्तियों शंकरलाल व मन्जु के निवास का अन्य कोई स्थान नही है। विकलांग प्रमाण पत्र संलग्न है।

{3} 6. यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कुलदीप सिंह एवं उनकी माता मधु कंवर के कब्जे को छिपाते हुए अपीलांट के खिलाफ झूठी कार्यवाही की है एवं केवल आपसी रंजिस के कारण उक्त कार्यवाही की गई है।

{3} 7. यह है कि अपीलांट के पुत्र शंकर के पास उक्त भूमि के निवास के अलावा अन्य कोई भूमि नही है। इसका प्रमाण पत्र भी ग्राम पंचायत श्यामगढ द्वारा जारी किया हुआ है तथा उक्त मकान पर पानी व बिजली का कनेक्शन भी लिया हैं ।

{4} – प्रस्तुत अपील को गुणावगुण पर निर्णित करने से पूर्व उसके मियाद में होने के संबध में धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 को निर्णित किया जाना आवश्यक है। अपीलार्थी द्वारा अपील निर्धारित समयावधि से विलम्ब से प्रस्तुत करने के संबधं में परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी के विरूद्ध निर्णय दिनांक 02.12.2019 को हुआ है । प्रार्थी के पास अधीनस्थ न्यायालय का नोटिस आया तो प्रार्थी दिनांक 21.08.2019 को हाजिर हुआ ,जिसे आगामी तारीख पेशी दिनांक 14.09.2019 दी गई, तथा 14.09.2019 को तारीख 11.09.2019 कर दी गई जिसकी जानकारी प्रार्थी को नही हो पाई । प्रार्थी को निर्णय की जानकारी बेदखली की कार्यवाही करने का कहे जाने पर, प्रार्थी द्वारा दिनांक 03.01. 2020 को नकले प्राप्त करने से हुई । प्रार्थी ने आगे निवेदन किया है कि अपील में हुयी देरी माफ योग्य है जिससे अवधि दिनांक 02.12.2019 से 03.01. 2020 तक की समयावधि को कण्डोन किये जाने के आदेश फरमावे। अपीलार्थी को जानकारी का अभाव होने से अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी पर , सहानूभूतिपूर्वक विचार किया जाकर अवधि दिनांक 02.12.2019 से 03.01.2020 तक की समयावधि को कण्डोन किया जाकर अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

{5} – बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया व मनन किया गया। पटवारी हल्का श्यामगढ की रिपोर्ट ,जिसकी जांच भू-अभिलेख निरीक्षक मारोठ द्वारा की गई , में अप्रार्थी द्वारा मौजा श्यामगढ के खसरा नंबर 1016 कुल रकबा 0.12 है० किस्म भूमि बारानी 02 भूमि पर बाडा व पक्का निर्माण करके अतिक्रमण कर रखा है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध जारी नोटिस विधिवत रूप से तामील हुआ एवं तथा विचारण अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 21.08.2019 में अप्रार्थी का स्वय का हस्ताक्षर है। अप्राथी मोहनलाल ने अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब पेश किया है जिसके बिन्दु सख्या 2 में " यह है कि ग्राम श्यामगढ के खसरा नंबर 1016 जो गे०मु० बारानी राजस्व रेकर्ड दर्ज है। उक्त आराजीयत पर मुझ गरीब असहायत पार्थी का विकलांग पत्र शंकरलाल व विकलांग

पुत्रवधु मन्जु देवी कच्चे/पक्के मकानात बनाकर रहवास कर रहा है। "उक्त भूमि की किस्म बारानी 2 होकर राजकीय भूमि है जिस पर किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कब्जा कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा मौजा श्यामगढ के खसरा नंबर 1016 कुल रकबा 0.12 है० किस्म भूमि बारानी 02 भूमि पर बाडा व पक्का निर्माण करना सदभावी निर्माण की श्रेणी में नही आते है। यह राजकीय भूमि पर अतिक्रमण की श्रेणी में आने से अपीलान्ट के विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार नावां द्वारा अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पारित आदेश यथावत रखा जाना उचित प्रतीत होता है।

-:आदेश:-

अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 02.12.2019 उपर्युक्त विवेचनानुसार यथावत रखा जाकर अपील अपीलान्ट खारीज की जाती है।

(रिछपाल सिंह बुरडक)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 25.03.2021 को मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुहर से जारी कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरडक)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)